राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2133/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राजेन्द्र प्रसाद जंगम ग्राम पो0 हाडौती, वाया मलारना स्टेशन, करौली , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जयपुर प्रथम, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चौथमल मीना, ए.डी.ई.ओ. उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 08-06-2017 के द्वारा परिवाद कुमारी पुनम बेनमार्ड बनाम प्रधानाचार्य से संबंधित जाँच रिपोर्ट की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 19-07-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने जो जाँच रिपोर्ट चाही थी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। यह जाँच प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बिड जयपुर द्वारा की जा रही थी। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 09-04-2018 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करादी गई है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 19-07-2017 से निस्तारित की गई जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 09-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी को उपलब्ध कराये गये जाँच रिपोर्ट से संबंधित अभिलेख की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है लेकिन सूचना की प्रकृति के अनुसार वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है तथा कर्मचारी की अनुशासनात्मक कार्यवाही से

संबंधित सूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरिश रामचन्द्र देश पाण्डे बनाम केन्द्रिय सूचना आयोग, दिल्ली में इस तरह की सूचनाओं को अदेय माना है। अतः प्रत्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि तृतीय पक्षकार की सूचना दिये जाने से पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की कार्यवाही करें एवं किसी की निजता का हनन नहीं किया जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त